कार्यालय :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–35/2018–588 दिनांक : 21.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत कृषकों के निजी भूमि पर फलदार/काष्ट प्रजाति के पौधों का वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये गये रोपण से संबंधित बकाया राशि का भुगतान हेतु **3.971 लाख (तीन लाख सनतानवे हजार एक सौ) रूपये** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–25/2018–03/स्वी0 व0प0 दिनांक 02.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0 बजट–25/2018–39/आ0 व0प0 दिनांक 15.05.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल **3.971 लाख (तीन लाख सनतानवे हजार एक सौ) रूपये** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	2.973
2	आपूर्ति एवं सामग्री	0.998
	कुल योग :–	**3.971**

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस राशि से राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया एवं प्रजातियों के अनुसार अपनी निजी भूमि पर करवाए गए (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रेखिक वनरोपण) वृक्षारोपण पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा।

3. प्रमंडलवार उप–आवंटित की जा रही राशि की एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी **अनुलग्नक–1** पर पर संलग्न है, जिसके अनुसार लाभुकों को

प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑन लाईन उप–आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा।

4. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–04/यो0बजट–79/2015/2005 दिनांक–14.05.2018 की कंडिका–6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका के लाभुकों को बैंक खाते/DBT के माध्यम से राशि भुगतान करेंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–35/2018–588** दिनांक–**21.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–35/2018–588** दिनांक–**21.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक –1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित मुख्यमंत्री जन वन योजना अंतर्गत कृषकों के निजी भूमि पर फलदार/काष्ट प्रजाति के पौधों का वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये गये रोपण से संबंधित बकाया राशि का भुगतान

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	0.400	0.600	1.000
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	2.573	0.398	2.971
कुल :–		**2.973**	**0.998**	**3.971**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-35/2018/588 दिनांक - 21-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	35128	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	40,000.00 रुपये चालीस हजार
2	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	35129	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	257,300.00 रुपये दो लाख सत्तावन हजार तीन सौ
3	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	35130	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	60,000.00 रुपये साठ हजार

योग: 357,300.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख सत्तावन हजार तीन सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.150.21

[redacted]

पत्र संख्या - 01/YB-35/2018/588 दिनांक - 21-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	35131	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	39,800.00 रुपये उनचालीस हजार आठ सौ

State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)
Centeral Scheme : NA

योग: 39,800.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख सित्तानवे हजार एक सौ 397,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.150.21 [redacted]